सं0सं0-10/पर्य0गृह0-09/2017/.........93

<u>बिहार सरकार</u>

<u>समाज कल्याण विभाग</u>

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा0प्र0से0,
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ...22/7/2025

विषय: **वित्तीय वर्ष 2025-26 में बांका जिला अन्तर्गत नवनिर्मित पर्यवेक्षण गृह में विद्युत कनेक्शन कार्य के लिए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि रू० 9,93,041/- (नौ लाख तिरानवे हजार इकतालीस) मात्र के प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला बाल संरक्षण इकाई, बांका के ज्ञापांक-321 दिनांक- 11.04.2025 के द्वारा **नवनिर्मित पर्यवेक्षण गृह, बांका में विद्युत कनेक्शन कार्य के लिए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए कुल रू० 9,93,041/- (नौ लाख तिरानवे हजार इकतालीस) मात्र के आवंटन की माँग की गयी है।**

2. उक्त के आलोक में विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बांका के द्वारा तैयार किये गये तकनीकी प्राक्कलन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 अन्तर्गत **नवनिर्मित पर्यवेक्षण गृह, बांका में विद्युत कनेक्शन कार्य के लिए कुल- रू० 9,93,041/- (नौ लाख तिरानवे हजार इकतालीस) मात्र** के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत राशि चालू वित्तीय वर्ष अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पुँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उप शीर्ष-0104-समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न भवनों के निर्माण से संबंधित विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य के अधीन मांग संख्या-03, विपत्र कोड- 03-4235020510104 के अन्तर्गत उपलबध बजटीय उपबंध से विकलनीय होगा।

4. स्वीकृत राशि का आवंटन सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल को प्रदान करेंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता उक्त राशि की निकासी कर सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बांका को उपलब्ध करायेंगे।

5. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बांका व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समाज कल्याण निदेशालय एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

6. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बांका इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561 दिनांक- 17.04.1998 एवं 12888 दिनांक- 03.12.2024 के प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत अन्य अद्यतन परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

8. संचिका सं0-**10/पर्य0गृह0-09/2017** के टिप्पणी पृष्ठ ...61....../टि0 पर दिनांक- 17/07/025...... को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(योगेश कुमार सागर)
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- **10/पर्य0गृह0-09/2017/**...93...... पटना, दिनांक 22.7.2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/ सचिव, भवन निर्माण विभाग/ संयुक्त सचिव, वित विभाग/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय / संयुक्त सचिव, योजना एवं बजट शाखा, समाज कल्याण विभाग/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, बांका/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बांका/ सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- **10/पर्य0गृह0-09/2017/**...93...... पटना, दिनांक ...22.7.2025

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन/विकास भवन/विश्ववेश्वरैया भवन, पटना एवं जिला कोषागार पदाधिकारी, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- **10/पर्य0गृह0-09/2017/**...93...... पटना, दिनांक ...22.7.2025

प्रतिलिपि:- विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।